

## कार्यालय जिलाधिकारी—खीरी

(भूलेख—अनुमान)

पत्रांक—०४६ /सात—६१(१)—पार्ट २—खतौनी में अंश निर्धारण/भूलेख, दिनांक— १८ जनवरी २०२१

### आदेश

उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उप नियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं शैलेन्द्र कुमार सिंह जिलाधिकारी, लखीमपुर—खीरी, संलग्न सूची में उल्लिखित चकबन्दी प्रक्रिया से वापस प्राप्त राजस्व ग्राम की खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित समय—सारिणी के अनुसार खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।



(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
जिलाधिकारी  
लखीमपुर—खीरी।

क्र० सं०	गतिविधि	समय सीमा
1	जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किया जाना।	25 जनवरी 2021 से 09 फरवरी 2021 तक
2	खतौनी में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारम्भिक रूप से सहखातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र—ख०पु०—२ में तैयार किया जाना।	10 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक
3	लेखपाल द्वारा खतौनी में सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र—ख०पु०—३ में तैयार किया जाना व राजस्व निरीक्षक द्वारा समर्त खातेदारों/सहखातेदारों को आर०सी० प्रपत्र—८ में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील कराया जाना।	26 फरवरी 2021 से 13 मार्च 2021 तक
4	खातेदार/सहखातेदार द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु आकार पत्र—ख०पु०—३ में विवरण अंकित करते हुए, यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित, सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगों को प्राप्त कराया जाना।	14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक
5	राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति से परामर्श, स्थानीय जांच—पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित करना।	14 अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक
6	खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित करना।	30 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक

**खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम हेतु राजस्व ग्रामों की सूची**  
**(फसली वर्ष 1428) तहसील—मोहम्मदी**


क्र0सं0	तहसील का नाम	परगना का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम का कोड सं0
1	2	3	4	5
1	मोहम्मदी	मोहम्मदी	दिलावरपुर	135609

  
 (शैलेश्कुमार सिंह)  
 जिलाधिकारी  
 लखीमपुर-खीरी।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

- 1 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग—5 व कम्प्यूटर सेल, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त ग्राम को अनलॉक किये जाने तथा अंश निर्धारण सूची में जोड़ने का कष्ट करें।
- 2 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जनपद—खीरी।
- 3 तहसीलदार/उपजिलाधिकारी, मोहम्मदी, जनपद—खीरी को इस निर्देश के साथ कि अपनी तहसील में सन् 1428 फसली वर्ष के राजस्व ग्राम की खतौनी में अंश निर्धारण की कार्यवाही करते हुए इस सूचना को तहसील के नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराने एवं सम्बन्धित लेखपालों को ग्राम पंचायत व उनके राजस्व ग्राम के समस्त मजरों में चर्चा करने हेतु तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. खण्ड विकास अधिकारी, मोहम्मदी को नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।
5. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट—खीरी को नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, लखीमपुर को दो दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

  
 (शैलेश्कुमार सिंह)  
 जिलाधिकारी  
 लखीमपुर-खीरी।